E-Mail :- eecdujnramnagar@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण शाखा,

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

रामनगर (नैनीताल) पिन कोड–244715

पंजीकृत

पत्रांक 1406 / विविध–14 पेयजल-14B / 06 दिनांक 05 / 07 / 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग,
रामनगर।

विषयः– जनपद– नैनीताल के हल्द्वानी में मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 605/2019 के अन्तर्गत जल जीवन मिशन के प्रस्तावित ढिकुली पेयजल योजना रामनगर (नैनीताल) के निर्माण हेतु 0.075 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/Water/151514/2022)।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 3347/12–1/ दिनांक 18.06.2022 तथा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 08बी./यू.सी.पी./09/41/2022/एफ०सी०/370 दिनांक 13.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र से लगाई गई आपत्तियों की निराकरण आख्या निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	The proposal involves the construction of an overhead tank, pump house, transformer and electricity line. Therefore, State Govt. is requested to submit a clear layout plan and a KML file in which all the components are marked separately.	उक्त योजना हेतु संशोधित .KML File Form-A Part-I Para-C में अपलोड कर दी गयी हैं तथा सुलभ सन्दर्भ हेतु सी.डी. के माध्यम से प्रेषित की जा रहीं हैं। योजना के विभिन्न घटकों का Layout Plan संलग्न हैं तथा आनलाईन Form-A Part-I के Additional Information में अपलोड कर दिया गया हैं।
2	The components of the water supply scheme (distribution) are not provided along with the proposal. It is not clear as to how the water will be distributed to the target population. Therefore, the State Govt. is requested to give clarification in this regard.	ढिकुली पेयजल योजना हेतु वितरण प्रणाली (Distribution) पाइप लाइन PWD/NH मोटर मार्ग के किनारें बिछायी जाना प्रस्तावित हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई वन भूमि प्रभावित नहीं हो रहीं हैं। योजना का सम्पूर्ण Index Plan सीडी के माध्यम से संलग्न किया जा रहा है। तथा आनलाईन Form-A Part-I के Additional Information में अपलोड कर दिया गया हैं।
3	This project falls within the Eco-Sensitive Zone of the Corbett Tiger Reserve. Therefore, the comments of Chief Wildlife Warden regarding impact of the project on the wildlife along with mitigation measure may be provided.	आपत्ति का निराकरण वन विभाग द्वारा किया जाना हैं।
4	The State Govt. is requested to submit its comments if any provisions have been made regarding such infrastructure/activity in the approved management plan of the Corbett Tiger Reserve.	आपत्ति का निराकरण वन विभाग द्वारा किया जाना हैं।

5	The State Govt. is requested to submit the detailed muck disposal scheme mentioning the exact quantities of the muck that will be generated and a plan for its disposal.	Muck Disposal Plan मय मात्राओं के संलग्न किया जा रहा हैं तथा Form-A Part-I के Additional Information में आनलाईन अपलोड कर दिया गया हैं।
6	Justification for locating the project in the forest area and the details of alternatives examined and the reasons for rejection of alternatives have not been furnished by the State Govt. Therefore, the State Govt. is requested to find out some other alternatives in the non-forest land and it must give complete justification establishing its inescapability for locating the project in forest area and also provide the reasons for rejection of the alternatives.	ढिकुली पेयजल योजना हेतु प्रारम्भ में अन्य विकल्पों पर विचार करते हुए भूमि की उपलब्धता हेतु प्रयास किये गये परंतु योजना हेतु उपयुक्त गुरूत्व श्रोत उपलब्ध न होने एवं ढाल में बसावट होने के कारण एवं राजस्व भूमि, नाप भूमि, वन पंचायत भूमि की उपलब्धता न होने एवं सम्बन्धित ग्राम के ग्रामवासियों की मूलभूत आवश्यकता पेयजल आपूर्ति के दृष्टिगत एकमात्र विकल्प वन भूमि का चयन करने हेतु विभाग बाध्यकारी हो गया। जिस हेतु उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का गठन किया गया हैं। अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया हैं तथा Form-A Part-I के Additional Information में पूर्व में आनलाईन अपलोड कर दिया गया हैं।
7	The component wise requirement of area and the standard norms fixed by the State Govt. for such projects may be provided.	Layout Plan में आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न component हेतु भूमि की माप अंकित कर दी गयी हैं। पेयजल हेतु लाभार्थीयों की संख्या के अनुसार विभिन्न Structures के Design के अनुसार साइज़ निर्धारित किया जाता हैं। तदनुसार न्यूनतम वन भूमि को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु आवेदित किया गया हैं। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा Standard Norms निर्धारित नहीं किये गये हैं।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार 05 प्रतियों में।

भवदीय,

(एन०के० गोयल)
अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठ संख्या एंव दिनांक उपरोक्तानुसारः–

प्रतिलिपि :– मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड देहरादून, को सादर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि क्रम संख्या –3 की आपत्ति में आपकी आख्या /टिप्पणी वांछनीय है। कृपया उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगें ताकि प्रकरण पर शीघ्र अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकें।

05/7/22

अधिशासी अभियन्ता